भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3003

उत्तर देने की तारीख : 08.08.2023

कॉक्लियर प्रत्यारोपण

3003. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:
श्री मद्दीला गुरुमूर्ति:
श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बधिर व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनका प्रतिशत कितना है;

(ख) बधिर व्यक्तियों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है और राज्यों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश को सहायता प्रदान करने के लिए कितनी निधि प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार किसी योजना के तहत बधिर व्यक्तियों को मुफ्त कॉक्लियर प्रत्यारोपण प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इससे आंध्र प्रदेश के कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त प्रत्यारोपणों को मूल्य नियंत्रण के तहत लाने पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में श्रवणता में दिव्यांगजनों की कुल संख्या 50,72,914 है जो दिव्यांगजनों की कुल संख्या का 18.9% है।

(ख): भारत के संविधान की राज्य सूची में प्रविष्टि 9 के आधार पर दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करना मुख्य रूप से राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बधिर व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है। विभाग की प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है-

(i) सहायक यंत्रों / सहायक उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप): एडिप योजना के तहत, ऐसे टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्रों और उपकरणों, जो उनकी दिव्यांगताओं के प्रभावों को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते है, की खरीद में पात्र दिव्यांगजनों की सहायता करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं।

केन्द्रीय क्षेत्रक योजना होने के कारण राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, एडिप योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित उपयोग की गई राज्य-वार निधियां **अनुबंध-I** में दी गई हैं।

(ii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा): इस योजना के तहत, राज्य सरकारों और केंद्र या राज्य सरकारों के तहत स्वायत्त संगठनों / संस्थानों / विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के प्रमुख घटक हैं:-

1. दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजन
2. सुगम्य भारत अभियान
3. दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

केन्द्रीय क्षेत्रक योजना होने के कारण राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान सुगम्य भारत अभियान और सिपडा की उप-योजना के बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां **अनुबंध-II** में दी गई हैं। कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां **अनुबंध-III** में दी गई हैं।

(iii) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस): इस योजना के तहत, दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित उनकी परियोजनाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक कार्यात्मक स्तरों तक पहुंचने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम बनाना है ।

केन्द्रीय क्षेत्रक योजना होने के कारण राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, डीडीआरएस योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश सहित जारी की गई राज्य-वार निधियां **अनुबंध-IV** में दी गई हैं।

(iv) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं: इस योजना के अंतर्गत, सरकार दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां जैसे कि प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए), पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तर तक), उच्च श्रेणी (टॉप क्लास) शिक्षा (अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा), नेशनल फैलोशिप (एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रम), नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति (पीजी/डॉक्टरेट स्तर पर विदेशी शिक्षा के लिए) प्रदान करती है ।

छात्रवृत्ति योजना के तहत डाइरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मोड के तहत लाभार्थियों के खाते में सीधे जारी किया जाता है। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां **अनुबंध-V** में दी गई हैं।

(ग) और (घ): एडिप योजना के अंतर्गत, 1 से 5 वर्ष की आयु के प्री-लिंगुअल श्रवण बाधिता वाले बच्चों के मामले में 7.00 लाख रुपए प्रति यूनिट की उच्चतम सीमा के साथ श्रवण बाधित बच्चों के लिए निशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट और पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी और पुनर्वास प्रदान करने का प्रावधान है और 5 से 18 वर्ष के बीच अधिगृहीत श्रवण बाधिता वाले बच्चों के मामले में 6.00 लाख रुपए का प्रावधान है। वित्तीय सहायता दोनों मामलों में इम्प्लांट, सर्जरी, थेरेपी, मैपिंग, यात्रा और प्री-इम्प्लांट मूल्यांकन की लागत को कवर करेगी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश सहित आयोजित कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-VI** में दिया गया है।

(ङ) और (च): अब तक कॉक्लियर इम्प्लांट आयात किए जाते हैं क्योंकि इसके लिए कोई घरेलू निर्माता नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोक्लियर इम्प्लांट को मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, कॉक्लियर इम्प्लांट्स की लागत को कम करने के उद्देश्य से भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी कॉक्लियर इम्प्लांट (सीआई) प्रणाली **'श्रवण'** के विकास की परियोजना शुरू की गई थी और वर्तमान में यह प्रयोग (ट्राइल) चरण में है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 08.08.2023 को उत्तरार्थ "कॉक्लियर प्रत्यारोपण" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3003 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप) योजना के तहत दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों के वितरण हेतु उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार विवरण।

		उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये में)		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	1490.75	1757.62	829.95
2	बिहार	667.39	675.77	1491
3	छत्तीसगढ	400.80	18.86	161.35
4	गोवा	173.03	2.62	14.18
5	गुजरात	968.29	890.45	1095.87
6	हरियाणा	306.79	482.94	753.70
7	हिमाचल प्रदेश	108.76	79.91	130.13
8	जम्मू और कश्मीर	212.6	321.97	538.13
9	झारखंड	162.19	294.32	763.48
10	कर्नाटक	481.01	502.34	1371.34
11	केरल	300.27	265.17	300.75
12	मध्य प्रदेश	1696.51	1723.27	2049.98
13	महाराष्ट्र	2482.85	2665.92	1901.14
14	ओडिशा	981.72	982.74	871.59
15	पंजाब	449.65	1210.94	1083.49
16	राजस्थान	607.96	759.88	1241.94
17	तमिलनाडु	557.09	885.37	746.47
18	उत्तर प्रदेश	3548.46	3473.67	6759.40
19	उत्तराखंड	262.22	161.27	353.5
20	पश्चिम बंगाल	713.05	547.50	1876.46
21	अंडमान और निकोबार	5.33	14.05	6.63
22	चंडीगढ़	46.46	25.55	45.44
23	दादरा एवं नगर हवेली	2.49	0	15.06
24	दमन और दीव	7.31	1.99	0.81
25	दिल्ली	187.36	263.28	507.58
26	लक्षद्वीप	0	0	0
27	पुदुचेरी	28.54	52.87	30.09
28	अरुणाचल प्रदेश	32.63	20.8	0
29	असम	303.53	431.30	1148.17
30	मणिपुर	71.64	73.10	110.27
31	मेघालय	7.56	34.64	110.93
32	मिजोरम	9.12	5.95	13.92
33	नागालैंड	17.8	45.33	18.49
34	सिक्किम	12.84	0	18.27
35	त्रिपुरा	80.41	57.73	349.29
36	तेलंगाना	495.60	802.66	1469.91
कुल		**17880.01**	**19531.78**	**28178.71**

अनुबंध- II

दिनांक 08.08.2023 को उत्तरार्थ "कॉक्लियर प्रत्यारोपण" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3003 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिपडा की उप-योजना के सुगम्य भारत अभियान और बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के तहत राज्य-वार जारी की गई निधियां।				
				(लाख रूपये में)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23
1	अरुणाचल प्रदेश	783.99	1447.67	508.93
2	असम	0	0	542.34
3	छत्तीसगढ	91.77	0	0
4	गोवा	0	0	99.21
5	गुजरात	0	477.95	0
6	मध्य प्रदेश	95.49	2074.06	85.46
7	महाराष्ट्र	627.43	0	503.93
8	मणिपुर	0	1379.15	0
9	मिजोरम	108.94	1320.82	0
10	नागालैंड	317.61	0	0
11	पंजाब	0	0	325.70
12	तमिलनाडु	2856.37	648.69	0
13	त्रिपुरा	587.44	0	0
14	उत्तराखंड	280.28	0	28.65
15	उत्तर प्रदेश	417.94	35.64	0
16	पश्चिम बंगाल	0	297.5	76.53
17	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	448.59	0	0
	कुल	**6615.85**	**7681.48**	**2170.75**

अनुबंध- III

दिनांक 08.08.2023 को उत्तरार्थ "कॉक्लियर प्रत्यारोपण" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3003 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण ।				
क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21 जारी की गई निधि (लाख में)	2021-22 जारी की गई निधि (लाख में)	2022-23 जारी की गई निधि (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3	असम	1.34	4.17	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00
5	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ	5.94	14.55	0.00
7	गोवा	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	8.29	0.00	0.00
9	हरियाणा	25.93	52.80	111.90
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	1.06	18.26	0.00
12	झारखंड	0.00	0.00	0.00
13	कर्नाटक	3.42	18.82	11.48
14	केरल	0.00	0.00	0.00
15	मध्य प्रदेश	24.52	0.00	49.27
16	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
17	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
18	मेघालय	0.00	0.00	0.00
19	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
21	नई दिल्ली	20.56	1.25	89.65
22	ओडिशा	0.00	7.48	11.58
23	पंजाब	0.65	0.00	0.00
24	राजस्थान	0.00	33.34	77.20
25	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
26	तमिलनाडु	34.44	40.56	63.98
27	तेलंगाना	11.60	0.00	0.00
28	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
29	उत्तराखंड	0.00	22.67	5.90
30	उत्तर प्रदेश	13.26	96.09	144.51
31	पश्चिम बंगाल	90.49	34.23	92.80
32	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
33	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
34	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
	कुल	**241.48**	**344.20**	**658.27**

अनुबंध- IV

दिनांक 08.08.2023 को उत्तरार्थ "कॉक्लियर प्रत्यारोपण" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3003 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीआरएस योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण				
क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23
				(लाख रुपये में)
		जारी की गई राशि	जारी की गई राशि	जारी की गई राशि
1	आंध्र प्रदेश	1639.88	1779.89	2648.41
2	असम	90.7	167.76	261.34
3	बिहार	0	41.89	33.54
4	छत्तीसगढ	1.63	47.58	0
5	दिल्ली	247.67	162.74	185.51
6	गुजरात	43.32	120.66	72.77
7	हरियाणा	140.19	101.99	128.93
8	हिमाचल प्रदेश	69.2	67.15	69.05
9	झारखंड	0	0	26.09
10	कर्नाटक	81.3	135.6	139.92
11	केरल	628.3	725.3	762.41
12	मध्य प्रदेश	248.31	325.57	382.72
13	महाराष्ट्र	180.11	71.46	383.87
14	मणिपुर	596.24	741.55	1016.29
15	मेघालय	105.37	29.64	101.76
16	मिजोरम	11.73	0	29.22
17	नागालैंड	26.32	0	30.36
18	ओडिशा	789.16	1457.59	929.8
19	पंजाब	98.92	149.27	168.06
20	राजस्थान	150.58	286.26	239.28
21	तमिलनाडु	208.25	137.06	184.7
22	त्रिपुरा	0	0	15.57
23	उत्तर प्रदेश	1335.24	1389.36	1147.75
24	उत्तराखंड	102.68	68.67	87.29
25	पश्चिम बंगाल	336.31	606.89	811.67
26	तेलंगाना	1168.25	1439.72	1527.48
27	पुदुचेरी	18.48	35.89	85.27
कुल		**8318.15**	**10089.47**	**11469.06**

अनुबंध- V

दिनांक 08.08.2023 को उत्तरार्थ "कॉक्लियर प्रत्यारोपण" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3003 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23
		राशि	राशि	राशि
1	अंडमान और निकोबार	-	0.000	0.00
2	**आंध्र प्रदेश**	**2.424**	**4.747**	**6.26**
3	अरुणाचल प्रदेश	-	0.000	0.00
4	असम	0.750	2.021	0.67
5	बिहार	3.682	8.994	5.43
6	चंडीगढ़	0.083	0.033	0.19
7	छत्तीसगढ	0.126	1.530	3.01
8	दादरा एवं नगर हवेली	0.001	0.013	0.03
9	दमन और दीव	-	0.000	0.00
10	दिल्ली	1.139	1.048	1.66
11	गोवा	0.036	0.055	0.04
12	गुजरात	3.243	2.759	2.56
13	हरियाणा	0.567	1.070	1.29
14	हिमाचल प्रदेश	0.486	0.576	1.31
15	जम्मू और कश्मीर	2.435	1.766	1.88
16	झारखंड	0.791	0.991	8.32
17	कर्नाटक	5.441	16.957	16.29
18	केरल	4.104	7.218	7.62
19	लद्दाख	-	0.000	0.00
20	लक्षद्वीप	-	0.000	0.00
21	मध्य प्रदेश	4.595	9.727	18.03
22	महाराष्ट्र	2.489	5.830	5.99
23	मणिपुर	0.015	0.000	0.11
24	मेघालय	-	0.057	0.01
25	मिजोरम	0.005	0.015	0.14
26	नागालैंड	0.048	0.010	0.00
27	ओडिशा	3.009	5.400	6.11
28	पुदुचेरी	0.266	0.286	0.30
29	पंजाब	1.553	2.120	1.74
30	राजस्थान	1.428	4.076	3.54
31	सिक्किम	0.003	0.003	0.00
32	तमिलनाडु	5.257	9.156	13.46
33	तेलंगाना	6.050	6.395	8.86
34	त्रिपुरा	0.097	1.188	0.48
35	उत्तराखंड	0.464	0.964	1.05
36	उत्तर प्रदेश	36.757	33.673	24.33
37	पश्चिम बंगाल	4.422	3.488	4.49
	कुल	**91.767**	**132.167**	**145.20**

अनुबंध- VI

दिनांक 08.08.2023 को उत्तरार्थ "कॉक्लियर प्रत्यारोपण" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3003 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले 05 वर्षों के दौरान एडिप योजना के तहत आयोजित कॉक्लियर प्रत्यारोपण सर्जरी की राज्य-वार सूची						
क्र.सं	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	अंडमान और निकोबार	0			1	
2	आंध्र प्रदेश	24	39	41	65	27
3	अरुणाचल प्रदेश	0	1			
4	असम	6	7	5	4	7
5	बिहार	8	10	7	13	31
6	चंडीगढ़	0	1	1	1	1
7	छत्तीसगढ	0				1
8	दादरा एवं नगर हवेली	0				
9	दमन और दीव	0				
10	दिल्ली	12	16	8	21	22
11	गोवा	3		1		2
12	गुजरात	20	9	11	18	29
13	हरियाणा	26	37	31	20	26
14	हिमाचल प्रदेश	3	3	4	4	5
15	जम्मू और कश्मीर	8	16	6	1	4
16	झारखंड	4	9	7	2	8
17	कर्नाटक	23	63	36	51	86
18	केरल	3	2	1	5	6
19	लक्षद्वीप	0				
20	मध्य प्रदेश	3	11	3	7	12
21	महाराष्ट्र	106	134	92	141	194
22	मणिपुर	7	8		3	5
23	मेघालय	0			1	
24	मिजोरम	1				
25	नागालैंड	1	2	1	3	
26	ओडिशा	10	10	6	4	8
27	पुदुचेरी	1				
28	पंजाब	23	24	20	20	26
29	राजस्थान	27	27	12	18	41
30	सिक्किम	0				
31	तमिलनाडु	0				
32	तेलंगाना	38	48	43	63	106
33	त्रिपुरा	1	5	4		7
34	उत्तर प्रदेश	192	199	183	186	409
35	उत्तराखंड	6	7	3	6	21
36	पश्चिम बंगाल	18	24	17	20	67
	कुल	**574**	**712**	**543**	**678**	**1151**

*****